न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ0नि0) प्रकरण, राजसमंद

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा शर्मा, RJS (DJ Cadre)

निगरानी फौजदारी प्रकरण संख्या – 134 सन् 2023

(CIS No. 162/2022)

प्यारचन्द पिता किशना खटीक, उम्र 73 साल, निवासी केलवा, पुलिस थाना केलवा, जिला राजसमंद।

---पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, राजसमन्द।
2. नानालाल पिता गोटुलाल खटीक, निवासी केलवा, जिला राजसमंद **(मृतक)** के बजाय –

1/1 श्रीमती तुलसा देवी पत्नी नानालाल, उम्र वयस्क,
1/2 श्री कुन्दनमल पिता नानालाल, उम्र वयस्क,
1/3 श्री हितेश पिता नानालाल, उम्र वयस्क,
1/4 रीना पिता नानालाल, उम्र वयस्क,
1/5 डिम्पल पिता नानालाल, उम्र वयस्क,
उक्त निवासियान केलवा, पुलिस थाना केलवा, तहसील व जिला राजसमंद।

--- गैर पुनरीक्षणकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आरोप विरचित हेतु आदेश डॉ. ऋचा चायल (आर.जे.एस.) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद जो कि प्रकरण संख्या 344/2021 रे.फौ. राज्य बनाम प्यारचंद में दिनांक 22.07.2022 को पारित किया गया

उपस्थित :–
1. श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत – अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता की ओर से।
2. श्री मुकेश तलेसरा – अधिवक्ता गैर पुनरीक्षणकर्तागण संख्या–1/1 लगायत 1/5 की ओर से।
3. राजस्थान राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।

आदेश **दिनांक : 01.04.2026**

1. यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता श्री प्यारचन्द ने विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 344/2021 रे.फौ. राज्य बनाम प्यारचंद में दिनांक 12.07.2022 को उन्मोचन निवेदन अस्वीकार कर आरोप विरचित किए जाने के आदेश से व्यथित होकर दिनांक 10.10.2022 को माननीय जिला एवं सेशन

न्यायालय राजसमंद के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अंतरित होकर दिनांक 31.05.2023 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. हस्तगत प्रकरण में विचारण के दौरान प्रार्थी नानालाल की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान श्रीमती तुलसा, कुन्दनमल, हितेश, रीना व डिम्पल को दिनांक 31.01.2024 को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रकरण में पक्षकार बनाया गया।

3. बहस निगरानी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप–पत्र में निगरानीकर्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध किये जाने की किसी प्रकार की साक्ष्य नहीं होते हुए भी उसे उन्मोचित नहीं किया जाकर त्रुटि की है। उक्त प्रकरण में परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता से भूमि क्रय करने का इकरार किया गया था और उक्त इकरार की पालना में परिवादी द्वारा नियत अवधि में बकाया प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं करने पर निगरानीकर्ता ने परिवादी के पक्ष में विक्रय पत्रों का पंजीयन कराने से इन्कार कर दिया। निगरानीकर्ता द्वारा इकरार में नियत अवधि समाप्त होने पर परिवादी को विधिवत सूचना पत्र भी प्रेषित कर दिया गया था, जिसके पश्चात् परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया, जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक कार्य नहीं किया गया है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य में कहीं पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि निगरानीकर्ता का प्रारम्भ से ही आशय परिवादी को विक्रय की गई भूमि का पंजीयन नहीं करवाकर उसके साथ छल, कपट करने का रहा हो। परिवादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा जितनी राशि अदा की गई, उतनी राशि की कीमत के भूखण्डों के विक्रय–पत्रों का पंजीयन निगरानीकर्ता द्वारा करवा दिया गया है। अंत में निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को अपास्त करने एवं निगरानीकर्ता को उक्त प्रकरण में उन्मोचित

किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं :–

(i) (2025) 3 Cri CC 667 [Rikhab Birani and ors. Vs. State of Uttar Pradesh and anr.]

(ii) 2025 INSC 1151 [Arshad Neyaz Khan Vs. State of Jharkhand and anr.]

(iii) 2006 (1) SCC (Cri.) 746 [Anil Mahajan Vs. Bhor Industries Ltd.]

(iv) 1998 AIR SCW 4007 [Nageshwar Prasad Singh alias Sinha Vs. Narayan Singh and Anr.]

(v) 2025 INC 870 [Mala Choudhary and anr. Vs. State of Telangana and anr.]

5. इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्ता की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा उचित एवं सही आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो विधिक रूप से सही एवं तर्कसंगत है। अंत में विचारण न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी याचिका अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों के उपरोक्त तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. सर्वप्रथम विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि गैर निगरानीकर्तागण संख्या–2 से 6 के पिता प्रार्थी नानालाल को निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा अपनी खातेदारी जमीन में से 4 बीघा 13 बिस्वा 5 विश्वांसी भूमि का 18,00,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 84,15,000/– रूपये में विक्रय करने का इकरार किया गया और उक्त इकरार पेटे निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा 11,00,000/– रूपये साई पेटे प्राप्त किए गए। प्रार्थी नानालाल ने स्वयं अपने परिवाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि निगरानीकर्ता प्यारचंद एवं अन्य द्वारा परिवादी/प्रार्थी को विक्रित भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया तथा प्रार्थी नानालाल ने उपरोक्त कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरित करवाया और उक्त जमीन में भराव डालकर समतलीकरण करवाया। साथ ही पत्रावली के अवलोकन के यह भी स्पष्ट है कि उक्त इकरार के निष्पादन के पश्चात् से लगभग 58,00,000/– रूपये निगरानीकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए, शेष बकाया राशि प्राप्त कर प्रार्थी नानालाल के पक्ष में विक्रित भूमि का विधिवत पंजीयन करवाना शेष था, जो

कि निगरानीकर्ता द्वारा नहीं करवाया गया और इसी कारण से दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। इस संबंध में निगरानीकर्ता की ओर से विक्रय–पत्र के पंजीयन हेतु प्रार्थी नानालाल को नोटिस भी जारी किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद विक्रय इकरार के निष्पादन के पश्चात् आंशिक प्रतिफल प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी विक्रय–पत्र का पंजीयन नहीं कराये जाने के कारण उत्पन्न हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 12.07.2022 पारित करते हुए निगरानीकर्ता/अभियुक्त को धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप सुनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। किन्तु इस संबंध में यदि विधिक स्थिति का अवलोकन किया जावे तो सर्वप्रथम यहां **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा 420** का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है जिसके अनुसार –

> ***छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना*** *– जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरति या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

8. इस प्रकार उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में यदि कोई व्यक्ति जो कि धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता के छल के अपराध के लिए दायित्वाधीन होता है, उसके द्वारा सर्वप्रथम प्रवंचना की जानी आवश्यक है। प्रवंचना से तात्पर्य मिथ्या अपदेश अर्थात् जो तथ्य सत्य नहीं है, उसे सत्य बताकर किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास में लेना। हस्तगत प्रकरण में उक्त विक्रय इकरार किए जाने से पूर्व निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा प्रार्थी नानालाल को किसी प्रकार का मिथ्या अपदेश कर साशय प्रवंचना की गई हो, ऐसा साक्ष्य से कहीं जाहिर नहीं आता है। निगरानीकर्ता प्यारचंद ने विक्रित भूमि का मालिकाना हक उसके पास नहीं होने के बावजूद भी मिथ्या अपदेश कर उक्त भूमि का विक्रय इकरार कर निष्पादन हेतु प्रार्थी नानालाल से प्रवंचना की हो, ऐसा भी साक्ष्य से जाहिर नहीं आता है। इसके अतिरिक्त

कपटपूर्वक या बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना भी इस धारा के तहत आपराधिक गठन करने के लिए एक आवश्यक तथ्य है। इस संबंध में भी विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से एवं स्वयं प्रार्थी/परिवादी नानालाल के परिवाद के अवलोकन मात्र से ही जाहिर आता है कि उक्त विक्रय इकरार के फलस्वरूप निगरानीकर्ता प्यारचंद ने प्रार्थी नानानाल को विक्रित भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया और उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी नानालाल द्वारा आवासीय भूमि में भी रूपान्तरित करवाया गया। यदि निगरानीकर्ता प्यारचंद का आशय प्रार्थी नानालाल के साथ छल करने का रहा होता तो वह उक्त विक्रित संपत्ति का कब्जा प्रार्थी नानालाल को सुपुर्द नहीं करता। इसके अतिरिक्त स्वयं निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा प्रार्थी नानालाल को इकरारशुदा भूमि का पंजीयन कराने हेतु जरिए अधिवक्ता एक लिखित नोटिस भी प्रेषित किया गया। ऐसी दशा में उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का आशय प्रारम्भ से ही प्रार्थी नानालाल के साथ छल करना रहा हो, ऐसा साक्ष्य से लेशमात्र भी प्रकट नहीं हुआ है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **2025 INSC 512 Rikhab Birani and ors. Vs. State of Uttar Pradesh and anr.** में यह मत प्रतिपादित किया है कि -

"Offence of Cheating ---- Requirement of Mens Rea at Inception ---- The crucial element for establishing the offence of cheating is the presence of a fraudulent of dishonest intention on the part of the accused at the very beginning, i.e., at the time of making the promise or inducement which led to the delivery of property or action/omission by the complainant ---- A mere subsequent failure to fulfil a promise of contractual term, without proof of initial dishonesh intent, does not amount to cheating."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **(2009) 3 SCC 78 V.Y. Jose and Another Vs. State of Gujarat and Anr.** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि – *"That a contractual dispute or breach of contract per se should not lead to initiation of a criminal proceeding. The ingredient of 'cheating', as defined under Section 415*

of the IPC, is existence of a fraudulent or dishonest intention of making initial promise or representation thereof, from the very beginning of the formation of contract. Further, in the absence of the averments made in the complaint petition wherefrom the ingredients of the offence can be found out, the High Court shouldnot hesitate to exercise its jurisdiction under Section 482 of the Cr.P.C. Section 482 of the Cr.P.C. saves the inherent power of the High Court, as it serves a salutary purpose viz. a person should not undergo harassment of litigation for a number of years, when no criminal offence is made out. It is one thing to say that a case has been made out for trial and criminal proceedings should not be quashed, but another thing to say that a person must undergo a criminal trial despite the fact that no offence has been made out in the complaint."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **(2024) 10 SCC 690 Delhi Race Club (1940) Limited and ors. Vs. State of Uttar Pradesh and Anr.** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि – *"The fine distinction between the offences of criminal breach of trust and cheating, observing that the two are antithetical in nature and cannot coexist simultaneously. Police officers and courts must carefully apply their minds to determine whether the allegations genuinely constitute the specific offence alleged."*

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **(2023) 6 SCC 109 Kunti and Anr. Vs. State of Uttar Pradesh and Anr.** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि – *"It was observed that a breach of contract does not give rise to criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right at the beginning of the transaction. Merely on the allegation of failure to keep a promise will not be enough to initiate criminal proceedings. Thus, the dishonest*

intention on the part of the party who is alleged to have committed the offence of cheating should be established at the time of entering into the transaction with the complainant, otherwise the offence of cheating is not established or made out."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **2025 INSC 1151 Arshad Neyaz Khan Vs. State of Jharkhand and anr.** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि – *"Cheating and dishonestly inducing delivery of property ---- Ingredients ---- To prove cheating, it must be shown that the accused had a fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise or representation ---- Mere failure to keep a promise subsequently does not imply a culpable intention from the beginning In this case, no allegations suggesting intentional deception or dishonest intention at the time of the agreement for sale were found, thus Section 420 was made out."*

9. उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात् स्पष्ट है कि धारा 415 भारतीय दण्ड संहिता के तहत छल के अपराध के गठन के लिए अभियुक्त की कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय इकरार निष्पादन के पूर्व ही होनी चाहिए। छल एवं आपराधिक न्यास भंग का अपराध एक साथ सह–अस्तित्व में नहीं हो सकते हैं। आपराधिक न्यास भंग के आधार पर किसी व्यक्ति को छल के अपराध के लिए विचारण हेतु बाध्य करना न्याय की मंशा नहीं रही है। किसी भी अनुबंध का उल्लंघन स्वतः ही आपराधिक धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता जब तक कि लेन–देन की शुरूआत में ही कपटपूर्ण या बेईमानी का इरादा स्पष्ट ना हो। आपराधिक न्यास भंग तथा छल की प्रकृति परस्पर विरोधी है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मूल रूप से दीवानी प्रकृति के मामलों में किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रक्रिया प्रारम्भ करने में न्यायालय को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए तथा पक्षकार पर दबाव डालने के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी आपराधिक

प्रक्रिया का उपयोग किसी अन्य पक्षकार पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के समान है। हस्तगत प्रकरण में भी उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा उक्त इकरार के निष्पादन से पूर्व प्रार्थी नानालाल से कोई प्रवंचना की गई हो या मिथ्या अपदेश किया गया हो और उसे बेईमानीपूर्वक एवं कपटपूर्वक उक्त इकरार के निष्पादन के लिए उत्प्रेरित किया गया हो, ऐसी प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है बल्कि उक्त इकरार के निष्पादन के पश्चात् निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा प्रार्थी नानालाल को विक्रित भूमि का कब्जा भी सुपुर्द किया गया, जिसे प्रार्थी नानालाल द्वारा कृषि से आवासीय भूमि में रूपान्तरित भी करवाया गया। साथ ही, विक्रय–पत्र के पंजीयन हेतु भी निगरानीकर्ता प्यारचंद द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थी नानालाल को विधिक नोटिस भी प्रेषित किया गया। इसके बावजूद भी यदि दोनों पक्षों के मध्य विक्रय–पत्र का पंजीयन नहीं हुआ तो यह स्पष्ट रूप से सिविल प्रकृति का मामला है और इस बाबत प्रार्थी नानालाल द्वारा निगरानीकर्ता प्यारचंद के विरूद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु पृथक से वाद सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है। ऐसी दशा में किसी पक्षकार पर मात्र दबाव डालने की गरज से आपराधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. जहां तक धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत निगरानीकर्ता प्यारचंद को आरोप सुनाए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में यहां सर्वप्रथम **भारतीय दण्ड संहिता** की **धारा 405** जो आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित करती है, का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

> ***आपराधिक न्यास भंग*** *– जो कोई, सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अखत्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास*

भंग करता है।

उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में निगरानीकर्ता प्यारचंद को प्रार्थी नानालाल द्वारा कोई सम्पत्ति या धनराशि न्यस्त की गई और उसे न्यस्त करने के पश्चात् उसके द्वारा उस राशि अथवा सम्पत्ति का बेईमानी से दुरूपयोग किया गया हो, ऐसा भी साक्ष्य से जाहिर नहीं आता है। इसके अतिरक्त दोनों पक्षकारों के मध्य कोई वैश्वासिक संबंध हो, ऐसा भी साक्ष्य से जाहिर नहीं आता है। उक्त सम्पत्ति के विक्रय का इकरार करना किसी भी दृष्टि से entrustment की श्रेणी में नहीं आता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Sharif Ahmed and Another Vs. State of Uttar Pradesh and Another, 2024 SCC Online SC 726 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि – *"An offence under Section 406 of the IPC requires entrustment, which carries the implication that a person handing over any property or on whose behalf the property is handed over, continues to be the owner of the said property. Further, the person handing over the property must have confidence in the person taking the property to create a fiduciary relationship between them. A normal transaction of sale or exchange of money/consideration does not amount to entrustment. Clearly, the charge/offence of Section 406 IPC is not even remotely made out."*

11. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना की रोशनी में स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता प्यारचंद के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किए जाने के जो आधार अपने आदेश में अंकित किए हैं, वे उचित प्रतीत नहीं होते हैं। विक्रित भूमि के पेटे करीब 58,00,000/– रूपये दिए जाने के आधार पर एवं क्रेता कैलाशचंद्र द्वारा विवादित भूमि में से आंशिक भूमि का विक्रय किए जाने से निगरानीकर्ता प्यारचंद के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर प्रकट नहीं होते हैं।

12. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2022 को निगरानीकर्ता प्यारचंद के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित

किए जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अवैध, अशुद्ध व अनौचित्यहीन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

13. परिणामतः उपरोक्त समस्त विवेचन की रोशनी में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

आ दे श

14. अतः निगरानीकर्ता/अभियुक्त प्यारचंद द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 344/2021 रे.फौ. राज्य बनाम प्यारचंद में दिनांक 12.07.2022 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है एवं निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किए जाने के कोई पर्याप्त आधार नहीं होने से निगरानीकर्ता/अभियुक्त प्यारचंद को उपरोक्त धाराओं से उन्मोचित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय को लौटा दी जावे।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द

15. यह आदेश आज दिनांक **01.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
एस.सी./एस.टी.एक्ट केसेज, राजसमन्द